भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4330
दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन प्रबंधन अधिनियम

4330. डॉ. भोला सिंह:
श्रीमती कमलजीत सहरावत:
श्रीमती स्मिता उदय वाघ:
श्री जगदम्बिका पाल:
श्री मनोज तिवारी:
डॉ. राजेश मिश्रा:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन प्रबंधन अधिनियम (पीएचईएमए) की स्थापना के प्राथमिक उद्देश्य क्या हैं और इसके अंतर्गत कौन-सी विशिष्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियाँ शामिल हैं;
(ख) महामारी की तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया (पीपीईआर) के लिए विशेष निधि की स्थापना के प्राथमिक उद्देश्य क्या हैं और इस विशेष निधि के लिए विचाराधीन वित्तपोषण के संभावित स्रोत क्या हैं;
(ग) पीएचईएमए को लागू करने और आवश्यक संस्थागत ढाँचे की स्थापना के लिए प्रस्तावित समय-सीमा क्या है और संभावित वित्तपोषण स्रोतों सहित पीपीईआर निधि की संरचना किस प्रकार की जाएगी;
(घ) मध्य प्रदेश में आपातकालीन प्रतिक्रिया और महामारी प्रबंधन के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है;
(ङ) महाराष्ट्र जैसे राज्य विशेषकर जलगाँव जिला पीएचईएमए और पीपीईआर के प्रभावी कार्यान्वयन में किस प्रकार योगदान दे रहे हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए स्थानीय स्तर पर तैयारी सुनिश्चित हो सके; और
(च) जलगाँव जिले में स्वास्थ्य अवसंरचना और सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम क्या हैं, जिससे जिले की तैयारी पीएचईएमए और पीपीईआर के उद्देश्यों के अनुरूप हो?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (च): नीति आयोग ने "फ्यूचर पेनडेमिक प्रीपेयर्डनस एंड एमरजेंसी रिस्पांस - ए फ्रेमवर्क फॉर एक्शन" शीर्षक से विशेषज्ञ समूह की एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें विशेषज्ञों ने त्वरित अनुक्रिया प्रणाली तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की जन स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति अथवा महामारी के लिए तैयारी के संबंध में

विशेषज्ञ समूह ने पृथक जन स्वास्थ्य ढ्रेश के लिए रुपरेखा प्रस्तावित की है। इनकी सिफारिश के भाग के रूप में आपातकाल प्रबंधन अधिनियम (पीएचईएमए) तथा महामारी तैयारी और आपात अनुक्रिया (पीपीईआर) के लिए विशेष निधि सृजित करने का सुझाव दिया है ताकि किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी संकट के प्रबंधन को सुकर बनाया जा सके।

स्वास्थ्य राज्य का विषय है। भारत सरकार स्थानिकमारियों सहित भावी जन स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों की तैयारी और अनुक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के प्रयासों में सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की निरंतर सहायता करती है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अपने अग्रणी कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भावी जन स्वास्थ्य संबंधी खतरों के कारण होने वाली किसी भी प्रकार की आकस्मिकता से निपटने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायगी में संवर्धन हेतु निरंतर अपेक्षित तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर जन स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों के लिए तैयारियों और अनुक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वर्ष 2021 और वर्ष 2022 में विशेष वित्तीय पैकेज प्रदान किए गए थे।

इसके अलावा, जन स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों के संबंध में देश को बेहतर ढंग से तैयार करने के दीर्घकालिक लक्ष्य के साथ, किसी भी नई और उभरती बीमारियों की पहचान और प्रबंधन के लिए प्राथमिक, माध्यम और निशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल परिचर्या केंद्रों और संस्थानों की क्षमता बढ़ाने के लिए 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रधान मंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) शुरू किया गया है।

*****